Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
01-07-2026	आवेदक द्वारा श्री अमितेश पांडे अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदक/राज्य द्वारा श्री विजय पटेल ए.डी.पी.ओ. प्रकरण केस डायरी/आवेदन पर तर्क हेतु नियत है। केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त। प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत धारा 503 भा.ना.सु.सं. पर उभयपक्ष के तर्क श्रवण किए गए। केस डायरी का अवलोकन किया गया। आवेदक/सुपुर्दगीदार की ओर से प्रस्तुत आवेदन यह है कि, आवेदक/सुपुर्दगीदार पुलिस औद्योगिक क्षेत्र देवास के द्वारा उसकी मालिकी के आभूषण, नगदी व सामान जप्त किया गया है। जप्त सामान से किसी प्रकार का कोई अपराध नहीं हुआ है। पुलिस ने अकारण ही जप्त किया है। जप्तशुदा सामान के रख रखाव के अभाव में खराब होने की संभावना है। उसे जप्त सामान की आवश्यकता पडती रहती है। आवेदक की ओर से यह तर्क किया गया है कि, प्रकरण में जप्त टी.वी. दैनिक उपयोग की वस्तु है। शेष सामान आभूषण, नगदी आदि के संबंध में सुपुर्दगी बाबत आवेदन पर बल देना नहीं चाहते है। अतः आवेदन–पत्र स्वीकार कर पुलिस द्वारा जप्त उसके मालिकी की टी.वी. सुपुर्दगी पर दी जाए। आवेदक /सुपुर्दगीदार आदेशित सुपुर्दगीनाम प्रस्तुत करने को तत्पर है। आवेदक/सुपुर्दगीदार न्यायालय की शर्तो का पालन करने को तत्पर है। अतः जप्तशुदा टी.वी. योग्य सुपुर्दगीनामे पर दिए जाने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है। **ए.डी.पी.ओ. द्वारा आवेदन का लिखित जवाब नहीं दिया जाकर मौखिक आपत्ति व्यक्त की गई।** उभयपक्ष को सुना गया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन से दर्शित है कि, आरक्षी केन्द्र औद्योगिक क्षेत्र देवास के अपराध क्रमांक 422/2026 अंतर्गत धारा 331(4), 305(ए) 317(5), बी.एन.एस. के संबंध में संपत्तियां जप्त की गयी हैं। विवेचना के क्रम में अभियुक्तगण से चांदी की रकमें, बिना नंबर की मोटर सायकल तथा एक	

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

समसंग कंपनी की एल.ई.डी.टी.वी. लंबाई 43 ईंच, Model C0de-UA43UE84AFULXL-S/N-0B173PC4807961 जप्त की गयी है जिसकी टेक्स इनवाई व बिल की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी है, जिसमें सुपुर्दगीदार का नाम अंकित है। अभियुक्तगण द्वारा सूचना पत्र उपरांत सुपुर्दगीनामे पर संपत्ति दिए जाने पर अनापत्ति व्यक्त की गई। अन्य कोई दावेदार न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए है।

आवेदक की ओर से प्रस्तुत इनवाई व बिल से दर्शित है कि आवेदक/सुपुदगीदार द्वारा जप्तशुदा एल.ई.डी.टी.वी. क्रय की गयी है। अन्य किसी के द्वारा संपत्ति की मांग न किये जाने के अवलोकन से आवेदक जप्तशुदा संपत्ति का प्रथमदृष्ट्या उचित अभिधारी होना दर्शित होता है। **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुंदरलाल अंबाभाई देसाई विरूद्ध गुजरात राज्य आदि ए.आय.आर. 2003 एस.सी. 638** में अभिनिर्धारित किया गया था कि, जप्तशुदा संपत्ति के संबंध में शीघ्र से शीघ्र अंतरिम अभिरक्षा कर विचार किया जाना चाहिये एवं जप्तशुदा संपत्ति का अधिक समय तक आरक्षी केन्द्र औधोगिक क्षेत्र देवास में रखे रहने देने का कोई औचित्य नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में प्रकरण के निराकरण में समय लगने के तथ्य से इंकार नहीं किया जा सकता है। जप्तशुदा संपत्ति सुपुर्दगी में नहीं दिये जाने की दशा में संपत्ति के अनुपयोगी होने व उनके उपयोग से आवेदक के वंचित होने की संभावना है। उपरोक्त तथ्यों पर विचारोपरांत तथा हस्तगत प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आदेशित किया जाता है कि आवेदक/सुपुर्दगीदार द्वारा 40,000/– (अक्षरी चालीस हजार रूपए मात्र) का सुपुर्दनामा प्रस्तुत करने पर उसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन उक्त वस्तु समसंग कंपनी की एल.ई.डी.टी.वी. लंबाई 43 ईंच, Model C0de-UA43UE84AFULXL-S/N-0B173PC4807961 सुपुर्दनामे पर दी जाए:–

1. आवेदक आगामी न्यायालयीन आदेश पर्यन्त की वस्तु को सुरक्षित व अहस्तांतरित रखेगा।
2. प्रकरण के अंतिम निराकरण तक आवेदक विषय वस्तु को परिवर्तित नहीं करेगा।
3. प्रकरण के अंतिम निराकरण तक आवेदक संपत्ति की जब भी न्यायालय को और अनुसंधान में पुलिस को आवश्यकता होगी तो स्वयं के व्यय पर प्रस्तुत करेगा।
4. आवेदक न्यायालय में साक्ष्य के प्रकम पर उपस्थित होने पर उपरोक्त जप्तशुदा संपत्ति के साथ न्यायालय में निर्देशित किये जाने पर प्रस्तुत करेगा।
5. उक्त संपत्ति पर किसी और व्यक्ति का स्वामित्व या

Order Sheet [Contd]

Case No. . . . . .of 20 . . . . . .

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary

आधिपत्य संबंधित दावा किये जाने की स्थिति में न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए उक्त संपत्ति को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने अथवा संबंधित सुसंगत आदेश का पालन करने हेतु तत्पर रहेगा।

उपरोक्तानुसार सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र देवास को जप्तशुदा उक्त टी.वी. प्रदीप कुमार शुक्ला पिता बाबूराम शुक्ला, निवासी–75, मुंगोरा, नरेनी मुंगोरा बांदा उत्तर प्रदेश हा.मु. देवास को विधिवत सुपुर्दगी पर प्रदत्त किये जाने हेतु आदेश प्रेषित किया जाये।

उक्त संपत्ति साक्ष्य की विषय वस्तु है। अतः रिहाई आदेश इस नोट के साथ जारी किया जाये कि आवेदक के व्यय पर जप्तशुदा संपत्ति की पृथक–पृथक चतुष्कोणीय फोटा मय धारा 63 साक्ष्य अधिनियम से समर्थित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरांत एवं विस्तृत पंचनामा जप्तशुदा संपत्ति की विशिष्ट पहचान के साथ साक्ष्य एकत्रित करने के उपरांत ही आवेदक को संपत्ति सुपुर्दगी पर दिये जावे।

सुपुर्दनामा अंतिम प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाए।

मूल दस्तावेज आवेदक द्वारा छायाप्रतियां प्रस्तुत करने पर मिलान कर लौटाई जाए।

केस डायरी लौटाई जाए।

आदेश अपलोड किया जाए। सुपुर्दगीनामा पेश किये जाने पर प्रकरण मेरे समक्ष पेश किया जावे।

प्रकरण का परिणाम सी.आय.एस./पंजी में दर्ज कर प्रकरण नियत अवधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे।

(श्रीमती नेहा पाराशर)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
देवास (म.प्र.)

Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	पुनश्च :– आदेश के पालन में सुपुर्दगीदार प्रदीप कुमार शुक्ला पिता बाबूराम शुक्ला, निवासी–75, मुंगोरा, नरेनी मुंगोरा बांदा उत्तर प्रदेश हा.मु. देवास(म.प्र.) ने प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति का 40,000/– (चालीस हजार)रूपए का सुपुर्दगीनामा प्रस्तुत किया। जो बाद तस्दीक स्वीकृत किया गया। सुपुर्दगीदार की पहचान श्री अमितेश पांडे अधिवक्ता द्वारा की गई। जप्तशुदा संपत्ति का रिहाई आदेश जारी किया गया। प्रकरण का परिणाम अंकित कर प्रकरण दाखिल रिकार्ड किया जाए। (श्रीमती नेहा पाराशर) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी देवास (म.प्र.)	